

## छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव

### चर्चा में क्यों?

[छत्तीसगढ़ राज्य नरिवाचन आयोग](#) के अनुसार, राज्य में नगर नगिमों सहति [शहरी और पंचायत नकियायों के चुनाव](#) फरवरी 2025 में होने जा रहे हैं।

### मुख्य बदि

- **चुनाव: परचिय**
- 10 नगर नगिमों, 49 नगर पालकिा परषिदों और 114 नगर पंचायतों सहति 173 नागरकि नकियायों के लयि चुनाव 11 फरवरी 2025 को एक ही चरण में होंगे।
- त्रसितरीय [पंचायत चुनाव](#) तीन चरणों में होंगे: 17, 20 और 23 फरवरी 2025।
- चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगरीय एवं पंचायत नकियायों के लयि [आदरश आचार संहति](#) लागू हो गई है।
- **मतदान पद्धत एवं चुनाव प्रकार:**
- [नगरीय नकियाय चुनाव इलेकट्रॉनकि बोटगि मशीन \(EVM\)](#) के माध्यम से कराए जाएँगे, जबकि [पंचायत चुनाव मत-पत्रों](#) के माध्यम से कराए जाएँगे।
- नगर नकियाय चुनाव दलीय आधार पर होंगे, जबकि पंचायत चुनाव गैर-दलीय आधार पर होंगे।

### राज्य चुनाव आयोग (SEC)

- राज्य नरिवाचन आयोग को राज्य में स्थानीय नकियायों के लयि स्वतंत्र, नषिपक्ष एवं नषिपक्ष चुनाव कराने का कार्य नरिदषिट कयिा गया है।
- **अनुच्छेद 243K(1):** इसमें कहा गया है कि पंचायतों (अनुच्छेद 243ZA के तहत नगर पालकिाओं) के सभी चुनावों के लयि मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, नरिदेशन और नयितरण राज्य चुनाव आयोग में नहिति होगा, जसिमें राज्यपाल द्वारा नयुक्ति राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होगा।

**अनुच्छेद 243K(2):** इसमें कहा गया है कि कार्यकाल और नयुक्ति राज्य वधिनमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार नरिदेशति की जाएगी। हालाँकि, राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों के अलावा उसके पद से नहीं हटया जाएगा।